

प्रथम अध्याय— विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 27 जिले हैं एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो की 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान अनुसार ₹98,281, वहीं भारत के लिये ₹1,35,050 अनुमानित है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य की अर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल घरेल राज्य उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वर्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रचलित मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,25,163	2,50,882	2,74,042 ^{प्रा}	3,04,063 ^{त्व}	3,29,180 ^अ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.83	11.42	9.23	10.95	8.26


(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)

अ—अग्रिम अनुमान त्व—त्वरित अनुमान प्रा—प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुए 1.83 से 11.42 प्रतिशत के मध्य रही। यद्यपि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान उच्च दर से वृद्धि हुई है लेकिन इसमें गत वर्ष के तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सभी तीन क्षेत्रों—कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर 15.77 प्रतिशत, 8.49 प्रतिशत एवं 10.98 प्रतिशत से वर्ष 2019–10 में 12.10 प्रतिशत, 5.51 प्रतिशत एवं 9.35 प्रतिशत होने के कारण हुई।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों—प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती हैं, जो की कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है।


वर्ष 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना को चार्ट–1.1 में दर्शाया गया है।



जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र और उत्पाद कर/उत्पाद अनुदान का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।


चार्ट 1.2 यह दर्शाता है कि पाँच वर्ष की अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2015–16 में 19.00 प्रतिशत एवं 34.80 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 20.97 प्रतिशत एवं 35.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2015–16 में 41.12 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 39.04 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पाद कर और उत्पाद अनुदानों के योगदान भी वर्ष 2015–16 में 5.09 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 4.95 प्रतिशत की कमी हुई।

चार्ट–1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2015–16 से 2019–20)



राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हे राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखें को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। यह लेखें का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2019–20 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखाकान्न साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालन, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े;
- वर्ष 2015–20 के दौरान भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों।

चौदहवें वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों का संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा / आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति।
द्वितीय अध्याय	राज्य शासन के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन–देन, राज्य का वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आंवटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है।
चतुर्थ अध्याय	लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदों के कार्यप्रणालीयों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय आधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन

शासकीय लेखों को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रिय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज

वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम—काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से सम्बन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से सम्बन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि।

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भुमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश, और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल हैं।

शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।

वर्गीकरण		
कार्यक्रम विवरण		
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप- शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)


कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणीयों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहयता अनुदानों एवं योगदानों एवं इन क्षेत्रों के निचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया।

समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्ष साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधिनस्थ लघु शीर्षों शासन के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती हैं और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर

नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय खातों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय खातों की संरचना का सचित्र चित्रण



1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2019–20 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन संचित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुनीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

वर्ष 2019–20 के लिये बजट तैयार करते हुए, राज्य शासन ने पारदर्शिता में सुधार करने और अनुत्पादक क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियात्मक और नितिगत बदलाव पेश किये। इस दिशा में, इसने निम्नलिखित रणनीति को रेखांकित किया:

- (क) अनावश्यक और अल्प महत्व के शीर्षों पर व्यय में कटौती करना और राजस्व संसाधनों में वृद्धि करके राजस्व घाटे को कम करना।
- (ख) राजस्व संतुलन बनाये रखने के लिये अनुत्पादक राजस्व व्यय को कम करना। इसके अलावा, राज्य शासन परिणामी बजट, जेण्डर बजट, युवा बजट तथा कृषि बजट भी अलग से तैयार कर रही थी।

बजटीय की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन के परिणाम इसे प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2018–19 का वास्तविक वित्तीय परिणाम का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

संक्र	घटक	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (बजट अनुमान)	2019–20 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशतता	(₹ करोड़ में) वास्तविक आंकड़े स.रा.घ.उ का प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	21,427.26	22,930.00	22,117.85	96.46	6.72
2.	करेतर राजस्व	7,703.02	8,825.00	7,933.77	89.90	2.41
3.	संघीय करों / शुल्कों के अंश	23,458.69	27,917.00	20,205.84	72.38	6.14
4.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,505.96	20,074.00	13,611.24	67.81	4.13
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	65,094.93	79,746.00	63,868.70	80.09	19.40
6.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	162.89	283.00	256.91	90.78	0.08
7.	अन्य प्राप्तियाँ	5.26	0.00	4.70	0.00	0.00
8.	उधार एवं अन्य दायित्वों ¹	19,238.16	12,145.90	16,206.99	133.44	4.92
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	19,406.51	12,428.90	16,468.60	132.51	5.00
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	84,501.44	92,174.90	80,337.30	87.16	24.41
11.	राजस्व व्यय	64,411.17	78,594.53	73,477.31	93.49	22.32
12.	ब्याज भुगतान	3,652.55	4,489.00	4,970.33	110.72	1.51
13.	पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हेतु सहायता अनुदान	1,998.74	2,248.97	1,939.61	86.24	0.59
14.	पूँजीगत व्यय जिसमें से	9,144.14	12,315.07	8,622.55	70.02	2.62
	पूँजीगत परिव्यय	8,903.45	12,109.61	8,566.39	70.74	2.60
15.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	240.69	205.46	56.16	27.33	0.02
	कुल व्यय (11+14)	73,555.31	90,909.60	82,099.86	90.31	24.94
16.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (5–11)	683.76	1,151.47	(–)9,608.61	(–)934.46	2.92
17.	राजकोषीय घाटा [15–(5+6+7)]	(–)8,292.23	(–)10,880.60	(–)17,969.55	65.15	5.46
18.	प्राथमिक घाटा (17+12)]	(–)4,639.68	(–)6,391.60	(–)12,999.22	103.38	3.95
स्रोत : वित्त लेखे 2019–20 एवं बजट बुक						

¹ (निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ+निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ+निवल आकस्मिकता निधि)+(निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष)

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियाँ की संक्षिप्त स्थिति

दायित्वों				परिसंपत्तियाँ				(₹ करोड़ में)
	2018–19	2019–20	वृद्धि / कमी(–) की प्रतिशतता		2018–19	2019–20	वृद्धि / कमी(–) की प्रतिशतता	
आंतरिक ऋण	49,553.83	60,382.67	21.85	कुल पूँजीगत परिव्यय	84,332.15	92,893.83	10.15	
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	2,700.39	2,764.05	2.36	ऋण और अग्रिमों	1,597.75	1,397.08	(–)12.56	
आकस्मिकता निधि (कोपस)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4.92	0.00	(–)100.00	
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,832.41	7,617.67	11.49	अग्रिम	1.74	1.83	5.17	
जमा	6,007.34	5,483.29	(–)8.72	प्रेषण	359.09	278.30	(–)22.50	
आरक्षित निधि	3,840.85	9,697.05	152.47	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00	
उचंत तथा विविध शेष	96.78	89.52	(–)7.50	रोकड शेष (निर्धारित निधियों में किया गया निवेशों सहित)	12,277.88	11,396.60	(–)7.18	
प्रेषण	0.00	0.00	0.00	कुल(1 से 7)	98,573.53	1,05,967.64	7.50	
				शासकीय लेखों पर घाटा	29,441.93	19,833.39	(–)32.64	
कुल(1 से 8)	69,131.60	86,134.25	24.59	कुल(8–9)	69,131.60	86,134.25	24.59	

स्रोत : वित्त लेखे 2019–20 एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2019–20 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ—साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य शासन के वित्त मे समग्र वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं।

1. राजस्व घाटा/आधिक्य—राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है।
2. राजकोषीय घाटा/आधिक्य—यह राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। वित्तीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं से परिलक्षित होता है।
3. प्राथमिक घाटा/आधिक्य—प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटे, कम ब्याज भुगतान के रूप मे मापा जाता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, सितम्बर 2011 एवं उसके बाद मई 2016 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं माध्यावधि राजकोषीय ढाचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

राज्य शासन ने मई 2016 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम 2016 पारित किया। अधिनियम के अनुसर राज्य शासन, नियमानुसार वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों के लिए सूझाये गये वित्तीय नियमों का विशेष रूप से उल्लेखित करेगा।

वर्ष 2015–20 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन में निर्धारित है एवं उनकी उपलब्धियों तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2015–20²

राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹करोड़ में)				
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	2,366.65	5,520.65	3,417.32	683.76	(-) 9,608.61
		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	(-) 4,573.71 (2.03 प्रतिशत)	(-) 4,047.27 (1.61 प्रतिशत)	(-) 6,810.32 (2.49 प्रतिशत)	(-) 8,292.23 (2.73 प्रतिशत)	(-) 17,969.55 (5.46 प्रतिशत)
		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताएं का अनुपात (प्रतिशत में)	21.23 प्रतिशत (वर्ष 2019–20)	16.76	17.64	19.31	21.95	23.91
		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* 1 मार्च 2020 से प्रभावी छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम (3 मार्च 2021) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 के लिये राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आगे, आंतरिक आशांति या प्राकृतिक आपदा एवं ऐसे अन्य आपवादिक आधारों जो राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया से उत्पन्न होने पर अप्रत्याशित मांगों के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और कुल देनदारियां राज्य के वित्त पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती हैं।

- वर्ष 2018–19 के तुलना में, राजस्व व्यय में ₹9,066.14 करोड़ (14.08 प्रतिशत) की वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों में ₹1,226.23 करोड़ (1.88 प्रतिशत) की कमी के कारण, वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व घाटा ₹9,608.61 करोड़ हो गया।
- राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण पर ब्याज का भुगतान (₹137.79 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹1,209.48 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹3,470.35 करोड़) तथा खाद्य भंडारण एवं भण्डागार (₹1,629.47 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से संघ करों और शुल्कों के हिस्से की प्राप्तियों में ₹3,252.85 करोड़ की कमी के कारण हुई।

² सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बदलाव के कारण पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाया गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशतता का आंकड़े को संशोधित की गई है।

- वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा ₹8,292.23 करोड़ था, जो ₹9,677.32 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹17,969.55 करोड़ हो गई, चूंकि वर्ष 2018–19 में ₹683.76 करोड़ की राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.46 प्रतिशत था, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (3.50 प्रतिशत) से अधिक है जबकि वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था।
- वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध कुल बकाया ऋण का अनुपात, अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था क्योंकि राज्य शासन द्वारा ₹11,680 करोड़ का बाजार ऋण लिया गया।

1.6.2 मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को वार्षिक बजट के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण रखना होता है। विवरण में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिये तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य को निर्धारित करना है।

तालिका 1.5—वर्ष 2019–20 के लिये छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान तथा वास्तविक के अंतर का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5—वर्ष 2019–20 के लिये छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

क्र.सं	राजकोषीय संकेतकों	मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में दर्शाये गये आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक (2019–20)	प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	22,930.00	22,117.85	(-)3.54
2	करेतर राजस्व	8,825.00	7,933.77	(-)10.10
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,917.00	20,205.84	(-)27.62
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	20,074.00	13,611.24	(-)32.19
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	79,746.00	63,868.70	(-)19.91
6	राजस्व व्यय	78,594.53	73,477.31	(-)6.51
7	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	1,151.47	(-)9,608.61	(-)934.46
8	राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)	(-)10,880.60	(-)17,969.55	65.15
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	21.23	23.91	12.53
10	प्रचलित मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर	11.09	8.26	(-)25.52

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2019–20 तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2019–20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में अनुमानित राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ में 19.91 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 6.51 प्रतिशत की कमी हुयी।

1.6.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।


राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)	<p>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व विंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ+ गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती है ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सके। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनिय है।</p>

1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹17,969.55 करोड़ था, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.46 प्रतिशत (₹3,29,180 करोड़) तथा कुल व्यय का 21.89 प्रतिशत (₹82,099.86 करोड़) गठित करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान ₹4,640 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हो कर ₹12,999.22 करोड़ हुई एवं वर्ष 2018–19 में ₹683.76 करोड़ की राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.5 लेखापरीक्षा के पश्चात घाटे

तालिका 1.6 में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये निधियों की कमी/अंशदान नहीं करना तथा गलत वर्गीकरण/प्रविष्टियों को शामिल करने के पश्चात् वास्तविक आधिक्य/घाटे के आकलन को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात कुल घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषिय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	0.00	1,939.61	0.00	0.00
पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किये गये राजस्व व्यय	0.00	9.59	0.00	0.00
योग	0.00	1,949.20	0.00	0.00

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2019–20